



FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्रीमती शंकरा देवी बनाम श्री शंकर व शंकर

किस्म मुकदमा 015 53,188 RTA

मु0न0 101 सन 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए
22-7-19	<p>वकील वादीगण उपस्थित। वाद पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के अधिकार सुरक्षित रखते हुए स्वीकार कर रेकार्ड पर लिया जाता है और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण को वाद चलाने की अनुमति दी जाती है। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर प्रकरण होकर एवं सम्मन जारी होकर दिनांक 14-8-19 को पेश हो।</p> <p>(जसवीर सिंह रांधु)</p> <p>उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर</p>	<p>4244-47</p> <p>24/7/19</p>
14-8-19	<p>वकील वादिया अनुपस्थित है। वादिया स्वयं उपस्थित। वादिया ने न्यायालय के समक्ष कथन दिए कि यह उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूँ व यह रण नहीं चलाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे एक ऐसा ही दावा प्रसे चल रहा है। उक्त एक साथ दो वाद एक ही मुद्दोष के संबंध में नहीं चलाना चाहती हूँ। उक्त इस वाद पर कार्यवाही बंद कर दी जावे। उक्त न्यायालय के सिंगल निशानी वादिया स्वयं से करवाए गए ऐसी स्थिति में यह वाद इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जावे। पतावनी जैसस कुमार रेकर नम्बर से कर हो।</p> <p>(जसवीर सिंह रांधु)</p> <p>उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर</p> <p>ब्यावर</p>	<p>मे यह दावा नहीं चलाना चाहती हूँ</p> <p>श. नि. शंकरा देवी</p>

